भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4633

उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019

उच्च शिक्षा में परिवर्तन

4633. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

गिरिश भालचन्द्र बापटः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडेः

श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नामांकन को दुगना और नियोजनीयता को बढ़ाकर उच्चशिक्षा को रूपांतरित करने के लिए पांच-वर्षीय दृष्टिकोण और कार्य योजना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विजन दस्तावेज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समान उच्चशिक्षा की बेहतरी के लिए यह किस प्रकार लाभकारी होगा;

(घ) क्या सरकार यू॰एस॰, यू॰के॰, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों के उच्च विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में ऑफ-केम्पस केन्द्रों का स्थापना के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में कार्यान्वित उक्त केन्द्रों द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (च): सरकार को उच्चतर शिक्षा के 10 फोकस वाले क्षेत्रों अर्थात (i) पहुंच को विस्तारित करने के लिए रणनीतियां (ii) उत्कृष्ट वैश्विक शिक्षण अध्ययन प्रक्रियाओं (iii) उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने (iv) अभिशासन सुधार (v) मूल्यांकन, प्रत्यायन और रैंकिंग प्रणालियों (vi) अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने (vii) नियोजनीयता और उद्यमियता (viii) बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग (ix) उच्चतर शिक्षा का

सार्वभौमिकरण (x) उच्चतर शिक्षा के वित्तीयन पर शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम (ईक्यूयूआईपी) के तहत 10 विशेषज्ञ समूहों से संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं। इन संस्तुतियों को सुझावों और टिप्पणियों हेतु राज्य सरकारों और भारत सरकार के अन्य संबंधित विभागों को भेजा गया है। सरकार ने संस्तुतियों, उनके संभावित वित्तीय निहितार्थों और निधियन स्रोत पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

वर्तमान में, विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को भारत में उनके परिसर स्थापित करने के लिए प्रवेश और प्रचालन की अनुमति प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (भारत और विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के बीच शैक्षिक सहयोग के मानकों का संवर्धन और अनुरक्षण) विनियम 2016 अधिसूचित किया है, जिसमें भारतीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग के लिए पात्रता मापदंड और शर्तों से संबंधित रूपरेखा तैयार की गई है। इस संबंध में यूजीसी विनियम http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2016/170684.pdf पर उपलब्ध हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने भी भारत में तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत और विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच शैक्षिक सहयोग और ट्विनिंग कार्यक्रम के लिए मानक निर्धारित किए हैं। इस संबंध में एआईसीटीई मानक https://www.aicte-india.org/sites/default/files/APH%202019-20.pdf पर उपलब्ध हैं।

******